संचिका संख्या 12/प0 विविध 08 105/12 1093(13)

# बिहार सरकार
# स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

**सॉवर भारती, (वि0प्र0से0)**
प्रशासी पदाधिकारी,
राज्य प0क0 ब्यूरो, स्वास्थ्य विभाग,
विकास भवन, बिहार, पटना ।

सेवा में,

**सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प0क0),**

**स्वास्थ्य विभाग ।**

/पटना, दिनांक 14/12/012

**विषयः- वित्तीय वर्ष (2012–13) के बिहार वित्तीय नियम 478 के अन्तर्गत प्राप्ति एवं व्ययन के आंकड़े के मिलाने के संबंध में ।**

**प्रसंगः–महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक 1230 दिनांक 05.11.12**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि मुख्य शीर्ष 2211 परिवार कल्याण का लेखा मिलान करने हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना के निदेश के आलोक में वांछित कार्रवाइ करने की कृपा करें ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

प्रशासी पदाधिकारी
राज्य प0क0 ब्यूरो, स्वास्थ्य विभाग,
विकास भवन बिहार पटना



11/29/2012

महालेखाकार (ले० एवं ह०) के कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

सत्यापन कोषांग-(12-13) 1230
~~10-2012~~
5-11-2012

सेवा में,

प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग
पटना

विषय:- वित्तीय वर्ष (2012-13) के बिहार वित्तीय नियम 4/5 के अन्तर्गत प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों के मिलान (लेखा सत्यापन) के संबंध में।

15258 (HS)
12.11.12

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष (2012-13) के लेखा माह सितम्बर 2012 तक के प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों का C.D. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-वार तैयार कर भेजा जा रहा है। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अपने स्तर से लेखा मिलान कराने हेतु आवश्यक निर्देश देने का कष्ट किया जाय। अगर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ने इस कार्यालय से लेखा मिलान का कार्य सम्पन्न करा लिया है तो उसका प्रमाण पत्र प्रेषित करने का कष्ट किया जाय।

भवदीय,

वरीय लेखा अधिकारी,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सत्यापन कोषांग-(12-13)-

दिनांक 10/2012

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वरीय लेखा अधिकारी,
बिहार, पटना

23.11.12

2575(12)
23/11/012